



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092021-229505
CG-DL-E-09092021-229505

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3343]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 8, 2021/भाद्र 17, 1943

No. 3343]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 8, 2021/BHADRA 17, 1943

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2021

का.आ. 3648(अ).— केंद्र सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 3 की उपधारा (1), के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (2) तथा धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एतद्द्वारा श्री एस. इकबाल सिंह लालपुरा को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित करती है।

[फा. सं. एनसीएम-11011/3/2021-पीपी-एमओएमए]

निगार फातीमा हुसैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2021

S.O. 3648(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 read with sub-section (2) of section 3, and sub-section (1) of section 4 of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992), the Central Government hereby nominates Shri S. Iqbal Singh Lalpura as the Chairperson of the National Commission of Minorities for a period of three years from the date of assumption of office.

[F. No. NCM-11011/3/2021-PP-MoMA]

NIGAR FATIMA HUSAIN, Jt. Secy.

4999 GI/2021